दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 24 अप्रैल,2015 को पूर्वाहन 10:00 बजे, राजनिवास दिल्ली में आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

अध्यक्ष

1. श्री नजीब जंग
   माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

2. श्री बलविन्दर कुमार

सदस्य

3. श्री वेंकटेश मोहन
   वित्त सदस्य, दि. वि. प्रा.

4. श्री अभय सिन्हा,
   अभियंता सदस्य, दि. वि. प्रा.

5. श्री डी. एस. मिश्रा,
   अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

6. श्री बी. के. त्रिपाठी
   सदस्य सचिवएन सी आर योजना बोर्ड

7. श्री विजेंद्र गुप्ता,विधायक
8. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
9. श्री एस. के. बग्गा, विधायक
10. ओ. पी. शर्मा, विधायक
11. श्री सतीश उपाध्याय
    नगर निगम पार्षद, एस डी एम सी
12. डॉ (श्रीमती) रजनी अब्बी
    नगर निगम पार्षद, एन डी एम सी

सचिव

श्री डी सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि. वि. प्रा.

विशिष्ट आमंत्रिती एवं वरिष्ठ अधिकारीगण

1. श्री के.के. शर्मा
   मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

2. श्रीमती नूतन गुहा बिस्वास
   माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली की प्रधान सचिव

3. डॉ. दयानन्द कटारिया
   प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन, कार्मिक एवं प्रणाली), दि. वि. प्रा.

4. श्रीमती स्वाति शर्मा
माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली की अपर सचिव

5. डॉ सिमी मल्होत्रा
माननीय उपराज्यपाल के सलाहकार (मीडिया, अकादमिक, संस्कृति एवं भाषा)
6. श्री विश्वन्द्र
माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के निजी सचिव
7. श्री एम. के. गुप्ता
आयुक्त (कार्मिक), दि. वि. प्रा.
8. श्री आर. के. जैन
आयुक्त (योजना), दि. वि. प्रा.
9. श्री एस पी पाठक
अपर आयुक्त (योजना), दि. वि. प्रा.
10. श्री विनोद साकले
अपर आयुक्त (योजना), दि. वि. प्रा.
11. श्री अमित कुमार दास,
अपर आयुक्त (योजना), दि. वि. प्रा
12. श्रीमती सविता भंडारी
अपर आयुक्त (भूदृश्यांकन), दि. वि. प्रा.
13. श्री एस पी सिंह
विशेष सचिव (वित्त), रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
14. श्री शमशेर सिंह
मुख्य नगर योजनाकार, एस डी एम सी एवं एन डी एम सी
15. श्री सुनील मेहरा
मुख्य नगर योजनाकार, ई डी एम सी
16. श्री कमल जोशी
निदेशक (भूमि लागत), दि. वि. प्रा.
17. श्री एच के भारती
निदेशक (योजना) यूटीपैक(यू टी टी आई पी ई सी), दि. वि. प्रा.
18. श्री विजय रिसबुड
उपाध्यक्ष, दि. वि. प्रा. के सलाहकार

I. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी नए सदस्यों, वशिष्ट आमंत्रित सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

<u>मद संख्या.50/2015</u>
दिनांक 01.04.2015 को राज निवास में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
एफ 2(2)2015/एम सी /डी डी ए

i) उपाध्यक्ष, दि. वि. प्रा.के एजेंडा मद संख्या 49/2015 के कार्यवृत्त के पैरा i (ए) को हटाने के सुझाव पर सहमति हुई क्योंकि दि. वि. प्रा. और एनबीसीसी के बीच समझौता ज्ञापन का मसौदा प्राधिकरण द्वारा 1.4.2015 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया था।

ii) दिनांक 1.4.2015 को हुई प्राधिकरण की बैठक के बाकी कार्यवृत्त की यथा परिचालित पुष्टि की गई।

<u>मद संख्या 51/2015</u>

दिल्ली विकास प्राधिकरण 16.2.2015 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।
एफ.2(3)2015/एमसी/डीडीए

i) श्री विजेन्द्र गुप्ता, प्राधिकरण के सदस्य ने यह मुद्दा उठाया कि यद्यपि निर्णय यह लिया गया था कि विकास क्षेत्रों को गैर अधिसूचित करते समय दि. वि. प्रा. द्वारा बिल्डिंगों रिकॉर्ड को स्थानांतरित किए जाएंगे और कमी शुल्क का भुगतान किया जाएगा, प्रासंगिक फाइलें अभी भी दि. वि. प्रा. की अभिरक्षा में है और कमी शुल्क अभी भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, चूंकि नगर निगमों के पास सीमित संसाधन हैं, इसलिए इन क्षेत्रों के रखरखाव के लिए फील्ड स्टाफ भी दि.वि.प्रा. से स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

यह निर्णय लिया गया कि दि. वि. प्रा. व्यापक रूप से जांच करेगा कि क्या दि. वि. प्रा.का फील्ड स्टाफ एमसीडी में स्थानांतरित किया जा सकता है या नहीं और इस संबंध में एक समान/समग्र नीति बनाई जा सकती है।

ii) उपाध्यक्ष, दि. वि. प्रा. ने स्पष्ट किया कि दि.वि.प्रा. उन क्षेत्रों की सभी शेष गतिविधियों को स्थानांतरित करना चाहता है जो अभी भी दि. वि. प्रा. के पास हैं, लेकिन इन्हें संबंधित नगर निगमों द्वारा नहीं लिया गया है। विस्तृत चर्चा के बाद, यह निर्णय लिया गया कि दि. वि. प्रा. ऐसे सभी क्षेत्रों और गतिविधियों की एक सूची तैयार करेगा जो वह एमसीडी को सौंपने को तैयार है। इसके बाद, उपाध्यक्ष, दि. वि. प्रा. नगर-निगमों के संबंधित आयुक्तों के साथ एक बैठक बुलाएंगे ताकि इन मुद्दों को सुलझाया जा सके।

iii) प्राधिकरण की दिनांक 16.2.2015 को हुई बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया गया।

<u>मद संख्या 52/2015</u>

सेक्टर ए -7, नरेला जोन पी -1 में199880 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का सार्वजनिक अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (पीएस 1-अस्पताल) से सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक सुविधाओ के क्षेत्रों से परिवहन (डिपो-बस) के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन (सीएलयू) करना।
एफ.20(29)2014-एमपी

कार्यसूची मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

तथापि, यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण को,इसकी अगली बैठक में नरेला में अस्पताल के लिए चिन्हित भूमि के विवरण के बारे में सूचित किया जाएगा। यह वैकल्पिक भूमि उस भूखण्ड के एवज में होगी, जिसके लिए भू-उपयोग परिवर्तन को अब क्लस्टर बस विभाग के लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

<u>मद संख्या 53/2015</u>

रैन बसेरों के विकास नियंत्रण मानदंडों के संदर्भ में एमपीडी-2021 में संशोधन करने का प्रस्ताव।
एफ.3(80)/2007-एमपी

कार्यसूची मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि रैन बसेरों के लिए विकास नियंत्रण मानदंडों में उल्लिखित पार्किंग प्रावधान पर पृथक आधार पर विचार किया जाएगा। रैन बसेरों के आकार और स्थान के आधार पर प्रत्येक रैन बसेरों की आवश्यकता का अलग-अलग रूप से मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें सेवा वाहनों की पार्किंग की आवश्यकता हो सकती है।

<u>मद संख्या 54/2015</u>
दिल्ली में नए 'बूचड़खानों' के प्रावधानों के संबंध में दि. मु. यो.-2021 में प्रस्तावित संशोधन।
एफ.3(143)82/एमपी

कार्यसूची मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

हालांकि, मौजूदा प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधन को "बूचड़खाने, पशु रक्त प्रसंस्करण (मौजूदा, स्थानांतरण और नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ आधुनिक बूचड़खाने को छोड़कर संबंधित एजेंसियों से

पर्यावरण मंजूरी सहित सभी मंजूरी के अधीन) के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। ये सख्ती रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार की जरूरत पर निर्भर होगी।"

मद संख्या 55/2015

यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर/विरासत शहर के लिए दिल्ली का शिलालेख - जोन 'डी' की क्षेत्रीय विकास योजना में नई दिल्ली के शाही शहर की सीमाओं का समावेश।
एफ.16(06)2014/एमपी

कार्यसूची मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
यह भी निर्णय लिया गया कि विस्तृत नक्शा शहरी विकास मंत्रालय को सौंपे जाने वाले जोन 'डी' की मुख्य योजना में शामिल किया जाएगा।

मद संख्या 56/2015

विद्यालयों द्वारा हरित के रूप में रख-रखाव किये जाने के लिए भूमि की गैर-चिह्नित पट्टियों का आवंटन।
एफ.18(51)2000/आईएल

विस्तृत चर्चा के बाद, एजेंडा मद को स्थगित कर दिया गया।

दि. वि. प्रा. अन्य सभी विद्यालयों से सटे ऐसे सभी आवंटित प्लाटों की सूची उपलब्ध कराएगा जिसके बाद प्राधिकरण के समक्ष एक एजेंडा मद रखा जाएगा।

मद संख्या 57/2015

वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए डीडीए क्षेत्रों में संस्थागत भूमि प्रीमियम का निर्धारण।
एफ.12(मिस.)15/आईएल

इस एजेंडा मद को स्थगित कर दिया गया था।

मुख्य सचिव, दिल्ली ने दिल्ली सरकार के लिए बस डिपो आदि के लिए भूमि की उपलब्धता और उसकी लागत के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के मसले को उठाया। यह निर्णय लिया गया कि दि. वि. प्रा. भूमि के आबंटन की दरों से संबंधित मुद्दों पर रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार और शहरी विकास मंत्रालय के साथ चर्चा की जाए और विस्तृत समीक्षा के बाद प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं।

मद संख्या 58/2015

जोन-एफ में बदरपुर, मथुरा रोड, दिल्ली में स्थित सेबल सिनेमा की 4000 वर्ग मीटर की निजी स्वामित्व वाली भूमि का'आवासीय' से 'वाणिज्यक' (सिनेमा/मल्टीप्लेक्स) भूमि उपयोग में परिवर्तन।
एफ.11(6)80/एमपी/पार्ट।

मद संख्या 59/2015

जोन 'सी' में ग्राम मलिकपुरछावनी में स्थित हंस सिनेमा, जी.टी. करनाल रोड, आजादपुर के पास, दिल्ली की 3354.97 वर्ग मीटर की निजी स्वामित्व वाली भूमि का भूमि उपयोग का'मनोरंजक' (जिला पार्क) से 'वाणिज्यिक (सिनेमा/मल्टीप्लेक्स) में परिवर्तन।
एफ 11(01)2006/एमपी

मद संख्या 60/2015

जोन के-1 में 35/16, 35/25 नांगलोई, रोहतक रोड स्थित लोकेश सिनेमा के लिए निजी स्वामित्व वाली 2536.40 वर्ग मीटर भूमि के भूमि उपयोग को 'निर्मित आवासीय' से 'वाणिज्यिक केंद्र (सिनेमा/मल्टीप्लेक्स)' में परिवर्तन
एफ.11(03)80-एमपी

मद संख्या 61/2015

जोन-1 में फायर स्टेशन के सामने ढांसा रोड, नजफगढ़ स्थित सूरज सिनेमा के लिए 3582 वर्ग मीटर की निजी स्वामित्व वाली भूमि के भूमि उपयोग को बिल्ट-अप आवासीय' से 'वाणिज्यिक केंद्र (सिनेमा/मल्टीप्लेक्स)' में परिवर्तन।
एफ.11(04)80-एमपी

यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त सभी चार मामलों की पुन: समीक्षा की जाएगी।

मद संख्या 62/2015

दि. वि. प्रा. में लैंडस्केप संवर्ग के विभिन्न ग्रेडों के लिए बने भर्ती विनियमों में संशोधन।
एफडी/मिस./08/आरआर/लैंडस्केप/2012

कार्यसूची मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

यह सहमति हुई कि सभी मामलों में जहां भर्ती विनियम (आरआरएस) में संशोधन किया गया है, यह विशेष रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए कि संशोधित भर्ती नियम के मामले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। यह विवरण/कथन भविष्य में प्राधिकरण के समक्ष रखे गए सभी आरआर मदों पर लागू होगा।

मद संख्या 63/2015

एफसी-20, सेक्टर-32 फेज-IV, रोहिणीमें 40031.86 वर्गमीटर (4.0 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल का बस डिपो से परिवहन विभाग के लिए "सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" से "परिवहन" (बस डिपो - टी 2) में भूमि उपयोग में परिवर्तन।
एफ.20(31)/2014-एमपी

कार्यसूची मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 64/2015

एस.ओ. सं. 1744 (ई) दिनांक 18.6.2013 की राजपत्र अधिसूचना में संशोधन के रूप में 17 गांवों को हरित पट्टी के भाग के रूप में शामिल करना।
एफ.3(103)96/एमपी/पार्ट.VII

विस्तृत चर्चा के बाद, एजेंडा मद को स्थगित कर दिया गया।

हरित पट्टी में गांवों की सूची में कुछ गांवों के केवल कुछ हिस्सों को जोड़ने का प्रस्ताव क्यों किया गया है, जहां कम सघनता वाले आवासीय प्लाटों की अनुमति है, इस मुद्दे की भी फिर से जांच की जानी चाहिए।

उचित सीमांकन के बाद इन गांवों के विस्तृत मानचित्रों को संशोधित एजेंडा मद में शामिल किया जाना चाहिए।

मद संख्या 65/2015

अध्याय 17.0 विकास संहिता में हरित भवन प्रावधानों के संदर्भ में दि. मु. यो.-2021 में संशोधन: खंड 8: खंड 8(6) सेवा योजना।
एफ.20(01)/2013-एमपी/पार्ट.II

कार्यसूची मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 66/2015

दि. वि. प्रा.में लिपिकवर्गीय संवर्ग के विभिन्न ग्रेडों के लिए बने भर्ती विनियमों में संशोधन।
एफ .7(141)2010/पी बी /पार्ट.V

कार्यसूची मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद संख्या 67/2015

मुख्य वास्तुकार के पद के लिए बने भर्ती विनियमों में संशोधन।
एफ.7(20)2013/पीबी-I

कार्यसूची मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद संख्या 68/2015

दि. वि. प्रा. में अनुसंधान संवर्ग में विभिन्न पदों के लिए बने भर्ती विनियमों में संशोधन।
एफडी/मिस./10/आरआर/अनुसंधान/2013

कार्यसूची मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद संख्या 69/2015

आशुलिपिक संवर्ग में विभिन्न पदों के लिए बने भर्ती विनियमों में संशोधन।
एफ.1(मिस.)07/2015/आरआर/स्टेनो

कार्यसूची मद में दिए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ने बैठक में भाग लेने के लिए उपस्थित सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।